क,

सुशील कुमार,
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2100 /3–पं./ग्रा.पं./2015–16 दिनांक 22 मार्च, 2016

विषयः–**Celebration of National Panchayat Diwas during April 14-24, 2016- activities regarding.**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती सारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या M-11015/57/2016-CB दिनांक 03 मार्च, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि इस वर्ष 14 से 24 अप्रैल, 2016 के मध्य की अवधि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पखवाड़े के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। विशेष ग्राम सभा की बैठक के साथ विभिन्न कार्यक्रम इस अवधि में समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जायें। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के लिए वातावरण सृजन एवं योजना निर्माण हेतु एक अच्छा अवसर है।

ग्राम सभा की विशेष बैठकें आहूत करने हेतु ऐजेण्डा निम्नवत् हैः–

- 24 अप्रैल, पंचायत दिवस के महत्व को स्पष्ट किया जाय, क्योंकि इसी दिवस को त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए संवैद्यानिक संशोधन आस्तित्व में आया।
- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता, शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति, पेयजल, जल संरक्षण, कृषि/कृषकों के मुद्दे, बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों, कुपोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशु लिंगानुपात, शिशु (बालिका) जन्म पंजीकरण, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत इत्यादि पर चर्चा की जाय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत बालिकाओं के शत–प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा जाय।
- वर्ष 2016–17 की वार्षिक योजना तथा आगामी 4 वर्षों की संदर्श योजना निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों के विकास के मुख्य विकल्प/थीम एवं उद्देश्यों को उक्त मुद्दों के साथ समेकित किया जाय।
- ग्राम सभा द्वारा उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाय, जिसने पंचायतों की बेहतरी के लिए अनुकरणीय कार्य किया है अथवा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- गाँवों के विकास के संदर्भ में निर्मित कोई फिल्म/डॉक्यूमेण्टरी भी विशेष ग्राम सभा में दिखायी जा सकती है।

ग्राम सभा की बैठकों के सफल आयोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. विशेष ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन की सूचना हेतु नोटिस, मुनादी एवं वृहद प्रचार–प्रसार किया जाय। क्षेत्रान्तर्गत स्थापित धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक/सरकारी भवनों में बैठकों के आयोजन के नोटिस चस्पा किये जायें।
2. ग्राम सभा में महिलाओं की प्रतिभागिता महत्वपूर्ण है। साथ ही ग्राम सभा में सभी वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की जाय। जहाँ स्वयं सहायता समूह स्थापित हैं, वे भी विशेष ग्राम सभा बैठक में सभी सम्बन्धितों की उपस्थिति हेतु प्रयास सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायता समूह, एस.एच.जी. महिला, युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों एवं ग्राम पंचायत के वार्ड मेम्बर्स द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों की विशेष ग्राम सभा में प्रतिभागिता हेतु प्रेरित किया जाय। विशेष ग्राम सभा में उपस्थिति के लिए डोर–टू–डोर सम्पर्क करने हेतु उक्त सभी के साथ–साथ बच्चों की सहायता भी ली जा सकती है।
3. विशेष ग्राम सभा बैठकों में सांसदों/विधायकों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति के लिए प्रयास सुनिश्चित किये जायें।
4. विशेष ग्राम सभा की बैठकों का रोस्टर इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि उनमें रेखीय विभागों के समन्वय से समस्त ग्राम स्तरीय कार्मिकों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आशा/आँगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु गठित तकनीकी सहायता समूह आदि की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित हो।
5. बैठकों की वीडियोग्राफी, कार्यवाही की रिकार्डिंग/फोटोग्राफी/रिपोर्टिंग अनिवार्य है। सबसे अच्छी ग्राम सभा के रूप में सम्मानित करने अथवा जिला स्तर पर प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार निर्णय लेगी। अच्छी ग्राम सभा के दस्तावेजी विवरणों के समर्थन/पुष्टि में वीडियो/फोटोग्राफ्स एवं बैठक की कार्यवाही, निदेशालय को आयोजन के एक सप्ताहान्तर्गत अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड से एक ग्राम सभा का चयन कर दो दिवस के भीतर जिला स्तर पर को भेजा जाय। तदुपरान्त जिला स्तर पर एक या दो ग्राम सभाओं का चयन कर समस्त विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
6. राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर उक्तानुसार आयोजित बैठकों की गतिविधियों के लिए व्यय का वहन 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित धनराशि के 10 प्रतिशत कण्टीजेन्सी मद से किया जायेगा।

7. जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिनांक 24 अप्रैल, 2016 को आयोजित कम से कम एक ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय।
8. ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु गठित तकनीकी सहायता समूह/संसाधन व्यक्ति को परामर्शी के रूप में विशेष ग्राम सभा बैठक के आयोजन हेतु सम्बद्ध किया जाय।
9. विशेष ग्राम सभा आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायत की समितियों का उन्मुखीकरण किया जाय।
10. विशेष ग्राम सभा बैठक में ए.आर.एल.एम., स्वच्छ भारत एवं मनरेगा मिशन के साथ अभिसरण किया जाय।

अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 27 दिनांक 27.02.2016 एवं निदेशालय के पत्र संख्या 1882 दिनांक 20.02.2016 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में अनुरोध करना है कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के संदर्भ में जिन ग्राम सभाओं की बैठकें दिनांक 14 से 24 अप्रैल, 2016 के मध्य आहूत की गई हैं, उन बैठकों में विशेष ग्राम सभा हेतु निर्धारित ऐजेण्डा भी सम्मिलित कर बैठकों के रोस्टर को रि–शेड्यूल करते हुए अधिक से अधिक बैठकें दिनांक 24 अप्रैल, 2016 (पंचायत दिवस) को आयोजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक

संख्या 2100 /3–पं./ग्रा.पं./2015–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं निदेशालय के पत्र संख्या 2011 दिनांक 11 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप बैठकों के अद्यतन रोस्टर की सूचना सप्ताहान्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती सारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या M-11015/57/2016-CB दिनांक 03 मार्च, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।

(सुशील कुमार)
निदेशक